राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक जमानत रद्द आवेदन संख्या 127/2021

मोहर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जवानाराम, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी ग्राम सोलाना तहसील चिरावा जिला झुंझुनू।

---- प्रार्थी

बनाम

1. विनोद @ सुनील उर्फ सनी उर्फ मोटा पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, निवासी ढाणी बोरान की तन रूपा का बास तन चीचतोड़ली थाना खतेरी जिला झुंझुनू राजस्थान।
2. पीपी के माध्यम से राजस्थान राज्य।

----प्रत्यर्थीगण

प्रार्थी (गण) की ओर से : श्री राजपाल ढांडखर

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से : श्री अमीन अली श्री लक्ष्मण मीणा, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास

आदेश

15/12/2021

रिपोर्टेबल

प्रार्थी-परिवादी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारी 439(2) के अन्तर्गत यह प्रार्थना-पत्र विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, खेतडी द्वारा विविध आपराधिक प्रार्थना-पत्र संख्या 206/21 में पारित आदेश दिनांक 06.07.21 को अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा अभियुक्त विनोद उर्फ सुनील उर्फ सन्नी उर्फ मोटा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे जमानत का लाभ दिया गया था।

मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-परिवादी, योग्य अधिवक्ता अभियुक्त तथा योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकल किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-परिवादी ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 06.07.21 में विद्वान अपर सेशन न्यायालय ने यह अंकित किया है कि अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड होना केस डायरी से प्रकट नहीं होता है, जबकि अभियुक्त आदतन अपराधी है और उसके विरूद्ध करीब 21 प्रकरण पंजीबद्ध/लंबित

थे। अभियुक्त घटना के बाद नौ माह तक फरार रहा है। अभियुक्त जमानत की सुविधा प्राप्त होने के बाद से साक्षियों को धमकियां दे रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध इसी घटनास्थल अर्थात परिवादी के पेट्रोल पम्प पर अपराध करने के संबंध में तीन और प्रकरण पंजीबद्ध हैं। हस्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी के पेट्रोल पम्प पर चौथी घटना से संबंधित है, इसलिए अभियुक्त का जमानत आदेश दिनांक 06.07.21 अपास्त किये जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्कों की पुष्टि में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये, जिनका मैंने अवलोकन किया-

1. 2017 एससीसी ऑनलाइन राज 997, राजस्थान राज्य बनाम पवन कुमार।

2. एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13269/2020 अमन @ कुकू पहलवान और अन्य बनाम एसटी राजस्थान आदेश दिनांक 12-11-2020, राजस्थान उच्च न्यायालय, खंडपीठ जयपुर द्वारा।

जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क दिया कि विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, खेतडी के समक्ष जमानत आवेदन पर बहस हुई तब अभियुक्त की ओर से यह कथन नहीं किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र की बहस के दौरान कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध जो प्रकरण पंजीबद्ध होना बताये जाते हैं, उनसे से 12 प्रकरणों में अभियुक्त दोषमुक्त हो चुका है। एक भी प्रकरण में अभियुक्त दोषसिद्ध घोषित नहीं हुआ है। परिवादी और अभियुक्त एक ही जगह के रहने वाले हैं और उनकी आपस में वैमनस्यता है। पेट्रोल पम्प और भी हैं, केवल परिवादी के पेट्रोल पम्प पर अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया जाना स्वाभाविक और विश्वसनीय नहीं है। परिवादी ने विधिक राय लेकर अभियुक्त को तंग करने के लिए मिथ्या प्रकरण पंजीबद्ध कराये हैं। अभियुक्त ने आदेश दिनांक 06.07.21 से प्राप्त जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं किया है। अभियुक्त ने किसी भी गवाह को कभी नहीं धमकाया। इसलिए जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने इन तर्कों की पुष्टि में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये-

1. (1995) 1 एससीसी 349, दोलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य।
2. 2009 (2) सी.आर.एल.आर. (राजस्थान) 1741, मनीष पहाड़िया बनाम श्रीमती संजू बाई और अन्य।

मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया, आक्षेपित जमानत आदेश दिनांक 06.07.21 तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आक्षेपित आदेश दिनांक 06.07.21 के पृष्ठ-2 पर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क अंकित है, लेकिन अभियुक्त की ओर से यह कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। निष्कर्ष के पैरा में यह अवश्य अंकित है कि "प्रार्थी-अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड होना केस डायरी से प्रकट नहीं होता है।" इस प्रकार न्यायालय का यह मत केस डायरी पर आधारित होना दृष्टिगत होता है। अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि यदि किसी अभियुक्त से संबंधित कोई प्रकरण पंजीबद्ध/लंबित हो तो उसकी सूची केस डायरी के साथ संलग्न करे। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध 21 प्रकरण पंजीबद्ध थे, इसलिए

अन्वेषण अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि पंजीबद्ध/लंबित प्रकरणों की सूची संलग्न पत्रावली करे, लेकिन ऐसी सूची केस डायरी में शामिल नहीं कर अन्वेषण अधिकारी ने अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा व लापरवाही अवश्य बरती है।

कुल मिलाकर आक्षेपित जमानत आदेश दिनांक 06.07.21 में यह अंकित नहीं है कि अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया हो कि उसके विरूद्ध पूर्व का कोई प्रकरण पंजीबद्ध/लंबित नहीं हो। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय अभियुक्त की ओर से कोई मिथ्या कथन किया गया हो।

जहां तक पूर्व में दर्ज तीन प्रथम सुचना रिपोर्ट का घटनास्थल पेट्रोल पम्प पर होने का प्रश्न है, यह सहीं नहीं है क्योंकि पुलिस थाना खेतडी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 196/19 में घटनास्थल सैफरागुवार, खेतडी है। ये तीनों ही प्रकरण हस्तगत प्रकरण से पूर्व के हैं।

आक्षेपित आदेश के पश्चात अभियुक्त ने परिवादी या गवाहान को निरन्तर धमकियां दिये जाने के संबंध में सुरेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस थाना खेतडी में देनांक 06.09.2020 को प्रस्तुत एक रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की है, लेकिन रिपोर्ट दिनांक 06.09.2020 में पुलिस ने क्या निष्कर्ष दिया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। निष्कर्ष की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियुक्त ने परिवादी अथवा उसके किसी गवाह को कब, कहां और किस समय धमकी दी, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियुक्त या उसके किसी गवाह द्वारा धमकी दिये जाने के तथ्य की पुष्टि में कोई शपथ-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जमानत पर स्वतंत्र व्यक्ति की जमानत निरस्त करने का कठोर कदम है, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। सामान्यत: जमानत तभी निरस्त की जानी चाहिए जब अभियुक्त ने साक्षियों को धमकाया हो अथवा साक्ष्य को मिटाने की या छेड़छाड़ की कोशिश की हो अथवा सुचारू रूप से चल रहे अन्वेषण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई हो, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा प्रकट नहीं होता है।

कुल मिलाकर परिवादी पक्ष की ओर से आक्षेपित जमानत आदेश को निरस्त कराने के संबंध में कोई सुदृढ़, विश्वसनीय और विधिसम्मत आधार नहीं दर्शाया है। इसलिए उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आक्षेपित जमानत आदेश दिनांकित 06.07.21 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामत: प्रार्थी-परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 439(2) दं.प्र.सं. के बाबत् जमानत निरस्त का खारिज किया जाता है।

(मदन गोपाल व्यास), न्यायमूर्ति

Mittal /1

उपरोक्त निर्णय/आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(i) के तहत भारत सरकार की अधिसूचना राजपत्र सं. 1, दिनांक 2 जनवरी, 1999 एवं राजस्थान राजपत्र दिनांकित 10.03.1971 के तहत हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत किये जाने के

परिणामस्वरूप मूल निर्णय हिन्दी भाषा में लिखाया गया। जिसका अनुवादक से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाकर उसकी प्रमाणित प्रति भी संबंधित पक्षकार को दी जाए।

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।